



कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, व्ही.आई.पी.इस्टेट, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492007

दूरभाष: (0771) 4065100-4065110 फैक्स: 2283594

E-mail: mfpfed.cg@nic.in; fed_raipur@cgmfpfed.org Website: www.cgmfpfed.org



सूचना दिनांक 27.03.2018

वर्ष 2017 सीजन के अग्रिम विक्रित लाट जिनके प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किश्त का भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, उनके भुगतान के संबंध में विभिन्न बिड़ी लिक्विस मर्वेन्ट एसोसिएशन एवं क्रेताओं के आवेदन वनोपज राजकीय व्यापार अन्तर्विभागीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये। वनोपज राजकीय व्यापार अन्तर्विभागीय समिति की बैठक क्रमांक 227 दिनांक 23.03.2018 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. समस्त लंबित किश्तों की देय राशि की भुगतान की तिथि दिनांक 20.02.2018 को बढ़ाकर देय राशि के भुगतान की तिथि दिनांक 30.06.2018 किया जाता है।
2. करार अवधि दिनांक 31.03.2018 से बढ़ाकर दिनांक 30.09.2018 किया जाता है।
3. 15 प्रतिशत प्रतिभूति निक्षेप की राशि की बैंक गारण्टी / एफ.डी. आर की तिथि दिनांक 30.04.2018 से बढ़ाकर दिनांक 31.10.2018 तक लिया जावे।
4. लाटों का बीमा दिनांक 30.04.2018 से बढ़ाकर दिनांक 31.10.2018 तक लिया जावें।

जो क्रेता उपरोक्त सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस आशय का शपथ पत्र प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर को डाक अथवा ई-मेल से दिनांक 29.03.2018 तक प्रस्तुत करेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि विलंब के कारण ब्याज में कोई छूट नहीं दिया जावेगा तथा ब्याज निर्धारित देय तिथि से लिया जावेगा।



(कौशलेन्द्र कुमार)

27.3.2018

कार्यकारी संचालक (व्या. एवं वि.)
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर